डा० मुकुल कुमार सती
अपर राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून (उत्तराखण्ड)
फोन /फैक्स - 0135-2781941, 2781942, 2781943

सेवा में,

1. प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जनपद–उत्तराखण्ड।

2. जिला परियोजना अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद–उत्तराखण्ड।

पत्रांक :– अ0रा0प0नि0 / 616 /17(1)–पैडागॉजी / 2015–16 दिनांक 19 जून, 2015

विषय :– वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015–16 में PAB द्वारा स्वीकृत पैडागॉजी पटल की विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु निर्देश।

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2015–16 की PAB द्वारा पैडागॉजी के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। PAB Minutes की प्रति पूर्व में ही जनपदों को उपलब्ध करवाई गयी है। पैडागॉजी पटल की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन / संचालन हेतु निम्नवत् निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं:–

1- **निःशुल्क पाठ्यपुस्तक (Free Text Books) -** वर्ष 2015–16 हेतु PAB द्वारा U-DISE 2014–15 की छात्र सं0 के आधार पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिए प्राथमिक स्तर पर ₹ 150.00 / छात्र तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ₹ 250.00 / छात्र की दर से, SSA से आच्छादित होने वाले बच्चों हेतु धनराशि स्वीकृत हुई है। प्रत्येक बच्चे तक सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें समयान्तर्गत पंहुच जाय। इस बात का ध्यान रखें कि अब भारत सरकार की पी0ए0बी0 द्वारा यू–डायस की छात्र संख्या के आधार पर ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, अतः आगामी यू–डायस भरते समय राजकीय विद्यालयों के बच्चों के साथ–साथ सहायता प्राप्त विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों के बच्चों की छात्र संख्या भी इसमें शामिल की जाय तथा Braille Books & Large Print Books हेतु CWSN बच्चों की अंकना भी अनिवार्य रूप से की जाए।

2- **विद्यालय विकास अनुदान (School Development Grant) –** जनपद स्तर से सत्र के प्रारम्भ में ही वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालय विकास अनुदान की धनराशि सीधे, SMCs खातों के माध्यम से उपलब्ध करवायी जाय ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। विद्यालय विकास अनुदान से जो भी कार्य किये जाने है उनका अनुमोदन SMC से अनिवार्य रूप में प्राप्त कर लिया जाय। विद्यालयों से अनुदान का उपभोग करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) सम्बन्धित स्तर पर प्राप्त कर लिया जाय।

3- **विद्यालय अनुरक्षण अनुदान (School Maintenance Grant) –** जनपद स्तर से विद्यालय अनुरक्षण अनुदान की धनराशि समय से विद्यालयों को उपलब्ध करवाई जाय ताकि विद्यालय के अनुरक्षण में समय से इसका उपयोग किया जा सके। बार–बार विद्यालय की पुताई / रंगाई आदि के नाम पर धनराशि के दुरूपयोग को रोका जाय। विद्यालय प्रधानाध्यापक अनुरक्षण कार्य की वरीयता सूची तैयार कर SMC से अनुमोदित करवायेंगे। विद्यालय में अनुरक्षण हेतु धनराशि होते हुए भी अनुरक्षण न करना, कार्य एवं दायित्व के प्रति उदासीनता समझी जायेगी। विद्यालयों से अनुदान का उपभोग करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) सम्बन्धित स्तर पर प्राप्त कर लिया जाय।

क्रमशः .....

4- **<u>सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण (In Service Teachers Training)-</u>** वर्ष 2015–16 के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम PAB द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। **जनपदों को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पूर्व में प्रेषित किये गये हैं।** इस वर्ष प्रशिक्षण मॉडयूल्य का निर्माण, राज्य स्तरीय मुख्य संदर्भदाता (KRP) प्रशिक्षण, डायट स्तरीय मुख्य प्रशिक्षक (MT) प्रशिक्षण माह मई 2015 के द्वितीय सप्ताह तक सम्पन्न कर तथा 04 दिवसीय बी0आर0सी0 स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को 20 से 27 मई, 2015 तक दो चरणों में सम्पन्न किया जा चुका है। **यदि किसी जनपद में 04 दिवसीय बी0आर0सी0 स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, कुल लक्ष्य के सापेक्ष अभी पूर्ण नही हुआ है तो किसी भी दशा में अवशेष लक्ष्य की प्राप्ति माह जुलाई, 2015 तक कर ली जाए।** जनपद/विकासखण्ड/संकुल स्तर पर अकादमिक संदर्भ समूहों का गठन अवश्य कर लिया जाय तथा समय समय पर अकादमिक संदर्भ समूहों की बैठकें आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता/अकादमिक अनुसमर्थन हेतु इनका सहयोग लिया जाय।

क्र.सं.	प्रशिक्षण गतिविधि	स्तर	कक्षा	अवधि
1	Early Grade Reading & Writing, Early Maths & Cleanliness.	BRC	I & II	4 days ($1^1/_2$ +$1^1/_2$ +1)
2	Training on Language, Maths. & Cleanliness.	BRC	III to V	- Do -
3	Training on Maths & Cleanliness.	BRC	VI to VIII	4 days (3+1)
4	Training on Science & Cleanliness.	BRC	VI-VIII	4 days (3+1)
5	Training of all RPs, MTs, BRC co, CRC co.	BRC	I-VIII	4 days
6	Follow-up of Training on Early Grade Reading Early Maths & Cleanliness.	CRC	I-II	4 days
7	Follow-up of Training on Language, Maths & Cleanliness.	CRC	III-V	4 days
8	Follow-up of training of Maths & Cleanliness.	CRC	VI-VIII	4 days
9	Follow-up of training of Science & Cleanliness.	CRC	VI-VIII	4 days
10	Training of 52 RPs (04 per district) on NUEPA module of school leadership through SIEMAT.	BRC	-	10 days
11	Training of 390 Head Masters (30 per district) on NUEPA Module through DIETs.	CRC	-	16 days (10+2+2+2)

- प्रत्येक विषय तथा वर्ग में स्वीकृत संख्या के सापेक्ष शत प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया जाय।
- एकल अध्यापकीय विद्यालयों अर्थात ऐसे विद्यालय, जिनमें केवल एक ही अध्यापक की नियुक्ति की गई है, के अध्यापक को सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाय। लक्ष्य प्राप्ति हेतु समीपवर्ती विद्यालयों से अध्यापक की व्यवस्था होने पर उन्हे प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा सकता है।
- कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान तथा गणित विषय के अध्यापक को अपने जनपद के स्वीकृत लक्ष्य के सापेक्ष विज्ञान तथा गणित विषय में से किसी एक में (जिन अध्यापकों द्वारा विगत वर्ष गणित का प्रशिक्षण प्राप्त किया उन्हे विज्ञान विषय तथा जिन अध्यापकों द्वारा विगत वर्ष विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त किया उन्हे गणित विषय हेतु) चयन कर प्रशिक्षित किया जाय। **इस प्रशिक्षण में माध्यमिक विद्यालयों के एल0टी0 ग्रेड के अध्यापकों, के0जी0बी0वी0 की अल्पकालिक अनुदेशिकाओं (विज्ञान/गणित)** को भी अनिवार्य रूप में सम्मिलित किया जाय।

क्रमशः .....

- **CRC स्तरीय Follow-up of Training:** अध्यापकों द्वारा जिस विषय एवं वर्ग में BRC स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, उसी विषय एवं वर्ग में उनका **CRC स्तर पर चार दिन की Follow-up of Training** कार्यशाला, अलग–अलग तिथियों में प्रत्येक माह एक दिन आयोजित की जाएगी। प्रत्येक विषय तथा वर्ग में स्वीकृत संख्या के सापेक्ष शत प्रतिशत प्रशिक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया जाय। Follow-up of training के अन्तर्गत BRC स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, प्रशिक्षण का अनुप्रयोग अपनी सिखाने–सीखने की प्रक्रिया (Teaching-Learning processes) में करेंगे। प्रशिक्षण के अनुप्रयोग के दौरान प्राप्त अनुभवों की Sharing अन्य अध्यापकों के साथ CRC स्तर पर की जायेगी तथा उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा जिससे कि अध्यापक एक दूसरे के अनुभवों से शिक्षण–अधिगम को अधिक प्रभावशाली/परिणामदायी बना सकेंगे। **इस हेतु समस्त जनपद अभी से माह अगस्त से नवम्बर के मध्य अपनी–अपनी तिथियां निर्धारित कर अनिवार्य रूप से इसकी सूचना राज्य परियोजना कार्यालय एवं डायटस को उपलब्ध करायेंगे, जिससे कि Follow-up of Trainings का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।**
- सी0आर0सी0 स्तरीय प्रशिक्षण की पश्च्पोषण कार्यशाला (Follow-up) पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जनपद तथा डायटस स्तर से इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं के अनुश्रवण की भी प्रभावी व्यवस्था की जाय। विगत वर्षों में CRC स्तर के प्रशिक्षण, सत्र के अंतिम समय में सम्पन्न किये जाते रहे हैं और अंतिम समय में प्रशिक्षणों की अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था नही देखी गई है। अनुश्रवण आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायी जानी है।
- प्रत्येक जनपद में NUEPA Module पर 04 RPs का 10 दिवसीय प्रशिक्षण SIEMAT में तथा 30 Head Masters का 16 दिवसीय (10+2+2+2) प्रशिक्षण DIET स्तर पर सम्पादित किया जाना है। **यह प्रशिक्षण समयान्तर्गत सम्पन्न हो सके, इस हेतु जिला परियोजना कार्यालय द्वारा 04 RPs के 10 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु ₹ 8000.00 की धनराशि SIEMAT को तथा 30 Head Masters के 16 दिवसीय (10+2+2+2) प्रशिक्षण हेतु ₹ 48000.00 की धनराशि DIET को माह जुलाई में ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।**
- जनपद तथा ब्लॉक सतर पर किस अध्यापक द्वारा कौन–सा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, इसकी सूची तत्काल तैयार कर अनिवार्य रूप से राज्य परियोजना कार्यालय को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करवायी जानी है।

क्र. सं.	विकासखण्ड/संकुल	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	विद्यालय का नाम	प्रशिक्षण का विषय	मोबाईल न0

- BRC स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल हेतु नामित नोडल अधिकारी प्रत्येक प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षण की आख्या अपने जनपद के DIET प्राचार्य को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- डायट द्वारा सभी प्रशिक्षणों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा आवश्यक सुझाव/पश्च पोषण (feed back) दिया जायेगा तथा अनुश्रवण आख्या राज्य परियोजना निदेशक (SSA) तथा निदेशक–अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी। डायट तथा DPO द्वारा मिलकर विभिन्न प्रशिक्षणों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण (Monitoring/Supervision) हेतु टीमों का गठन किया जायेगा। जनपद BRC/CRC स्तर पर प्रशिक्षण की तिथियों से राज्य परियोजना कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से अवगत करायेंगे। BRC/CRC स्तर पर प्रशिक्षण कार्ययोजना अनुसार समयान्तर्गत सम्पादित कराने तथा विद्यालय की कक्षाओं में उसके अनुप्रयोग (Execution) का दायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा उप शिक्षा अधिकारी का होगा।
- BRC स्तर के प्रशिक्षण हेतु ₹ 200/प्रतिभागी/दिन की दर से धनराशि स्वीकृत है। प्रशिक्षण माड्यूल पर

क्रमशः .....

खर्च होने वाली धनराशि घटाकर शेष धनराशि विकासखण्ड को प्रशिक्षण से पूर्व उपलब्ध करवा दी जाय जिससे प्रशिक्षण समय पर सम्पन्न हो सके तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण का लाभ बच्चों की उपलब्धि पर दृष्टिगोचर हो।

- CRC स्तर के Follow-up of training कार्यशाला हेतु ₹ 100/प्रतिभागी/दिन की दर से धनराशि स्वीकृत है। धनराशि संकुलों को प्रशिक्षण से पूर्व उपलब्ध करवा दी जाय।
- अनुश्रवण में देखा जाय कि अध्यापक इन प्रशिक्षणों का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में कर रहे हैं अथवा नहीं।
- प्रत्येक जनपद स्तर पर मुद्रित होने वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल्स की पाँच–पाँच प्रतियाँ अनिवार्य रूप से राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे।
- **BRC स्तर पर चार दिवसीय प्रशिक्षण मॉडयूल्स के अन्त में पश्चपोष्ण प्रपत्र (feed back formate)** उपलब्ध कराया गया है। अध्यापकों के द्वारा भरे गये feed back प्रपत्र बी0आर0सी0 स्तर पर संकलित कर डायट को उपलब्ध करावाये जायेंगे। प्रत्येक डायट्स द्वारा अनिवार्य रूप से feed back प्रपत्रों का विश्लेषण कर प्रत्येक विषय हेतु प्राप्त मुख्य सुझावों अथवा टिप्पणीयों को विश्लेषण हेतु SCERT तथा राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान को भेजा जाना है, जिससे कि आगामी वर्ष में सेवारत प्रशिक्षण मॉड्यूल्स की आवश्यकताओं की पहचान (Training Need Analysis) कर उन्हे और अधिक परिणामदायी बनाया जा सके।

5- **अध्यापकों/समन्वयकों का वेतन/अनुदान** – विभिन्न गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करने तथा अध्यापकों/समन्वयकों को समय पर वेतन भुगतान हेतु कार्य योजना तैयार कर ली जाय ताकि कार्मिकों को वेतन के लिए अनावश्यक आंदोलन न करना पड़े तथा सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियाँ भी समय पर सम्पन्न हो सके। **इस संदर्भ में सभी जनपद पी0ए0बी0 द्वारा अनुमोदित 2015–16 वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का अवलोकन अवश्य कर लें तथा किसी भी रूप में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय न करें।**

6- **कम्प्यूटर ऐडेड लर्निंग प्रोग्राम** (CALP) – पी0ए0बी0 द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015–16 में U-DISE 2014–15 के आधार पर केवल उन्ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर क्रय हेतु अनुमोदन दिया गया है, जिन विद्यालयों में विधुत संयोजन उपलब्ध है। राज्य के कुल 288 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु (प्रति विद्यालय 05 कम्प्यूटर) कम्प्यूटर क्रय किये जाने हैं तथा कुल 500 अध्यापकों को डायट स्तर पर विद्यालयों में आई0सी0टी0 आधारित पाठ योजना पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। **पी0ए0बी0 द्वारा प्रति जनपद ₹ 50.00 लाख की सीलिंग को खत्म किया गया है। जनपदवार स्वीकृत धनराशि तथा अन्य विवरण संलग्न किया जा रहा है जिसका मिलान आप अपने जनपद की पी0ए0बी0 द्वारा अनुमोदित 2015–16 वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट से अवश्य कर लें। कम्प्यूटर क्रय किये जाने हेतु राज्य से अलग से निर्देश प्रदान किये जायेंगे तब तक जनपद अन्य तैयारी पूर्ण कर लें।**

7- **शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण (REMS)** – वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015–16 में REMS मद में जनपदों हेतु निम्नवत् गतिविधियों की स्वीकृति प्राप्त हुई है

i. **शोध एवं मूल्यांकन (Research and Evaluation)-**

- **विद्यालय स्तर पर अध्यापकों द्वारा किये जाने वाले क्रियात्मक शोध** –डायट के माध्यम से प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर न्यूनतम 02 तथा अधिकतम 08 क्रियात्मक शोध हेतु **₹ 2000.00** (प्रति क्रियात्मक शोध) की दर से प्रत्येक जनपद में संलग्न सूची अनुसार क्रियात्मक शोध हेतु धनराशि स्वीकृत है। **इस मद में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि को जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रारम्भ में ही प्राचार्य, डायट को अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाय।** क्रियात्मक शोध (Action Research) हेतु

क्रमशः .....

समन्वयकों/प्रवक्ताओं तथा अध्यापकों का चयन डायट द्वारा डायट मेन्टर्स, बी0आर0सी0 समन्वयक, सी0आर0सी0 समन्वयक तथा उप शिक्षा अधिकारी आदि के सहयोग से किया जाय। चयनित अध्यापकों का डायट में अभिमुखीकरण (Orientation) किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले क्रियात्मक शोधों को 03–03 प्रतियों में अभिलेखीकरण किया जायेगा, जिसकी एक–एक प्रति BRC/डायट/राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायी जानी होगी। **जिन डायटस के द्वारा विगत वर्ष 2014–15 में क्रियात्मक शोध राज्य परियोजना कार्यालय को अद्यतन उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं वे तत्काल सम्बन्धित अभिलेख राज्य परियोजन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा डायट धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) जिला परियोजन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।**

ii. **अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण (Monitoring and Supervision)-**

- **गुणवत्ता आयामों के अनुश्रवण हेतु Quality Monitoring Tools (QMTs)** – वर्ष 2015–16 में QMTs प्रपत्र भरने में बहुत त्रुटियाँ पाई गई। डायट अल्मोड़ा को छोडकर अन्य संकुल, ब्लाक तथा जनपद स्तर से QMTs विश्लेषण के पश्चात निचले स्तर के लिए Feed Back प्रायः नही भेजा गया। वर्ष 2015–16 में इन त्रुटियों से बचा जाय तथा प्रपत्रों के संकलन, विश्लेषण तथा Feed Back की कार्यवाही समय पर सम्पन्न कर ली जाय। NCERT/भारत सरकार स्तर से QMTs की लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2015–16 में QMT हेतु संलग्न विवरणानुसार धनराशि की स्वीकृत हुई है। वर्ष 2015–16 में समस्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में आकलन की CCE पद्वति लागू की जानी है जिससे QMTs प्रपत्र में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। अतः इस सन्दर्भ में अलग से निर्देश जनपदों को प्रेषित किये जायेंगे।
- **U-DISE का क्रियान्वयन**– प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2015–16 में U-DISE का जनपद स्तर से विद्यालय स्तर तक क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के नियोजन पटल द्वारा समय–समय पर निर्देश प्रदान किये जायेंगे। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2015–16 में इस हेतु संलग्न विवरणानुसार जनपदवार धनराशि स्वीकृति हुई है।
- **डायट स्तरीय अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण** – वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015–16 में डायट स्तर से विद्यालयों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक डायट को ₹ 50,000.00 की धनराशि स्वीकृत है। स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों **(विद्यालयों की समस्त अकादमिक गतिविधियां, बी0आर0सी0 स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, सी0आर0सी0 स्तरीय सेवारत शिक्षक फोलोअप प्रशिक्षण, काल्प प्रशिक्षण, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु आयोजित होने वाले शिविर, आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश आदि)** से सम्बन्धित गतिविधियों, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण किया जायेगा। **प्रत्येक डायट द्वारा किये गये पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवणों का विस्तृत अभिलेखीकरण अनिवार्य रूप से कर, उसकी एक–एक प्रति राज्य परियोजन कार्यालय तथा जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी। इस मद में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि को जिला परियोजना कार्यालय प्रारम्भ में ही प्राचार्य, डायट को अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित करेंगे तथा डायट से धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।**
- **विकासखण्ड स्तरीय अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण** – वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015–16 में विकासखण्ड द्वारा विद्यालयों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रति

क्रमशः .....

ब्लाक ₹ 30,000.00 की धनराशि स्वीकृत है। स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों **(विद्यालयों की समस्त अकादमिक गतिविधियां, बी0आर0सी0 स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, सी0आर0सी0 स्तरीय सेवारत शिक्षक फोलोअप प्रशिक्षण, काल्प प्रशिक्षण, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु आयोजित होने वाले शिविर, आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश आदि)** का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण किया जायेगा। **प्रत्येक उप शिक्षा अधिकारी किये गये पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का अभिलेखीकरण अनिवार्य रूप से करेंगे। जिला परियोजना कार्यालय संलग्न सूची के अनुसार इस मद में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि को उप शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देशों सहित प्रारम्भ में ही अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित करेंगे तथा ब्लाक से धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।**

- **संकुलों को पूर्व में उपलब्ध कराये गये इण्टरनेट डाटा कार्ड (Doungles) हेतु धनराशि :–**
  वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015–16 में राज्य के समस्त 994 संकुल हेतु ***₹ 2,500.00 प्रति संकुल*** की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि को संकुलों को उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य यह है कि विकासखण्ड, संकुल एवं विद्यालय स्तर से राज्य के समस्त स्तरों पर अपेक्षित सूचनाओं की त्वरित गति से उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस सन्दर्भ में जिला परियोजना अधिकारी द्वारा संकुलों को विस्तृत दिशानिर्देश दिये जाने होंगे जिससे कि धनराशि का सदुपयोग अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो सके।

DPO स्तर से DIET/BRC/CRC/SMC के खातों में धनराशि अंतरण के साथ ही यह भी निर्देश दिये जाय कि यह धनराशि किस मद की है तथा इसे कैसे व्यय किया जाना है। कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त गतिविधियों को समयान्तर्गत क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

19.06.15

(डा. मुकुल कुमार सती)
अपर राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0:– अ0रा0प0नि0 / 616 / 17–पैडागॉजी / 2015–16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद–उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

19.6.15

(डा. मुकुल कुमार सती)
अपर राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]